IV 29/12

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 104517

1

आकर्षण एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

ग्राम–सागापाली पो0–ढोटारी, गाजीपुर

न्यास विलेख (INSTRUSMENT OF TRUST)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 12.06.2012 को गाजीपुर जनपद में श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी– श्री सत्यदेव सिंह ग्राम–सागापाली, ढोटारी, गाजीपुर, उ0प्र0 द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यास कर्ता/संस्थापक पर रु0 11000.00 (ग्यारह हजार रूपये मात्र) की धनराशि है जिसे की वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करती है न्यास कर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा यह ट्रस्ट "आकर्षण एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, सागापाली, ढोटारी, गाजीपुर" के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यास कर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतो से जिसमे दान उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

और क्योकि न्यास कर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रु0 11000.00 (ग्यारह हजार रूपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय निकट सत्यदेव इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी गाधिपुरम (बोरसिया) पो0–फदनपुर, जनपद–गाजीपुर, उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

न्यास कर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारावद्ध एवं घोषित किया जाता है।

Digitally signed by [TEST] SAVITRI SINGH
Date: 2025.06.16 17:42:50 +05:30
Reason: reason
Location: location

सावित्री सिंह

क्रमश....2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 104518

वरि0 कोषाधिकारी दिनांक 0 1 MAY 2012 गाजीपुर

आकर्षण एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयो, पुस्तकालयों, वाचनालयो, प्रयोगशालाओं चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रो पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रो कि स्थापना नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आवद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदो, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हे मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यक, वैज्ञानिक, कीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

3. नागरिको विशेष कर बालको, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वागीण विकास तथा स्वावलंम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।

4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।

5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यकम मानक निर्धारित करना, परीक्षाए लेना।

6. पुस्तको, साहित्य, पत्रो, पाठ्यकमो आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।

सावित्री सिंह

कमशः....3

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104519

8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं बैठके, विशेष कक्षाएं, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

9. समाज कल्याण विभाग, नावार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण ,मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर सकना।

10. सिलाई, कढाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग, प्रिटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।

11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, बी०टी०सी० कालेज, बी०एड० कालेज, बी०पी०एड० कालेज, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, पालीटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेज, आई०टी०आई०, पुस्तकालय, फार्मेसी, फीजियोथीरेपी आदि संस्थानो की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टैक्नीशियन, सम्बद्ध, प्रबन्ध आदि कर सकना।

12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, बी०टी०सी० कालेज, बी०एड० कालेज, बी०पी०एड० कालेज, मेडिकल कालेजो, पालीटेक्निक कालेजों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।

13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

14. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।

16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।

17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकरी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार प्रसार कर सकना।

19. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र पत्रिकाए, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्री कर सकना।

कमश....4

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104520

20. पत्राचार द्वारा, अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।

21. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।

24. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना।

25. विभिन्न आयोजनो एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

26. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/बी0टी0सी0 कालेजों/बी0एड0 कालेजों/बी0पी0एड0 कालेजों/पालीटेक्निक कालेजों/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासियो एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था सम्पत्ति) मानी जायेगी।

27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खड़न्जा, तालाबो का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।

कमश....5

सावित्री सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 104521

दिनांक 0 1 MAY 2012 गाजीपुर

29. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा. जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं का संचालन करना।

32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना पिछड़े वर्गों, अनु0 जातियो, अनु0 जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यो में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनीटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाएं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यकम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और वरकरार रखने के लिए कार्य करना।

33. कृषको के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।

34. कृषको/ग्रामीणो को फूल एवं औषधिय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

35. वनवासी जातियों, समुदायों, जिनमें जंगली जीवन यापन करने वाले, मुसहर, कोल भील आते हैं के विकास के लिए स्कूल, कालेज, दवा केन्द्र, अस्पताल आदि की व्यवस्था/संचालित करना।

36. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक कालेज निर्माण करना।

2. प्रारम्भिक उपबन्ध–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से श्रीमती सावित्री सिंह को न्यास कर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of deed) भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा डा0 आनन्द कुमार सिंह पुत्र– श्री सत्यदेव सिंह, ग्रा0– सागापाली, पो0– [illegible]री, जिला– गाजीपुर, स0 मनिन्दर सिंह बग्गा पुत्र– स्व0 स0 मेहर सिंह, पता– [illegible] सी–5, मुखराम गार्डेन, तिलक नगर, नई दिल्ली–18

सावित्री सिंह

क्रमश....6

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104522

डा0 प्रीति सिंह पुत्री– श्री गंगा प्रसाद सिंह, पता– गोराबाजार, रविन्द्रपुरी, गाजीपुर, सतीश चन्द्र सिन्हा पुत्र– स्व0 बच्चूलाल सिन्हा पता– रामपुर उदयभान, नई बस्ती, पो0– सिविल लाईन, बलिया, श्रीमती सुमन सिंह पत्नी– प्रो0 आनन्द सिंह पता– 5 वर्धमान परिसर, चुना भट्ठी, कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0), सत्यदेव सिंह पुत्र– स्व मर्याद सिंह, पता– ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर, डा0 लक्ष्मण सिंह गोरास्या पुत्र– गोमा जी गोरास्या पता– 135, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा, निकट बस स्टैण्ड, उज्जैन (म0प्र0), डा0 सुभाष चन्द्र राय पुत्र– रामाशीष राय, पता– ग्रा0+पो0– रानी, बेगुसराय (बिहार), डा0 सानन्द कुमार सिंह पुत्र– श्री सत्यदेव सिंह पता– ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर,, पंकज सिंह पुत्र– श्री कृष्ण कुमार सिंह पता– ग्रा0+पो0–पूर बलिया को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी जीवन काल मे जब चाहे अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टीयो में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर सकते है।

3. किसी भी नये ट्रस्टीयो के चयन हेतू इच्छूक अभ्यर्थी को 50000/- पचास हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा जिसे ट्रस्टीयो के समक्ष रखा जायेगा ट्रस्टीयो द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत होने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमति के बाद ही उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किन्ही कारणो से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदक की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट से पद मुक्ति करने की शर्तें निम्न हैं मृत्यु, ट्रस्ट विरुध कार्यो मे संलिप्तता पाये जाने पर, पागल होने पर, व्यभिचारी होने पर,त्याग पत्र देने पर,पद मुक्ति/निष्काषित किया जा सकता हे।

3. <u>मैनेजिंग ट्रस्टी पद का हस्तान्तरण–</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि अपने जीवन काल मे अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद ट्रस्टीयो मे किसी को प्रदान कर सकता है।

कमश....7

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 104523

वरिष्ठ कोषाधिकारी
दिनांक
11 MAY 2012
गाजीपुर

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे। जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी का प्रदत्त किये गये है।

4. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्टार के यहा रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो श्रीमती सावित्री सिंह के मृत्यु के पश्चात डा0 आनन्द कुमार सिंह पुत्र– श्री सत्यदेव सिंह इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी को 6 माह के अन्दर ट्रस्टीयो का बहुमत प्राप्त करना होगा अन्यथा कि स्थिति में किसी भी ट्रस्टी को 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये मैनेजिग ट्रस्टी के चयन होने तक डा0 आनन्द कुमार सिंह पुत्र– श्री सत्यदेव सिंह, ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर मैनेजिग ट्रस्टी बने रहेगें।

5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी यह व्यवस्था रजिस्टार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीहत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने जीवन को उत्तरार्ध में की गई वसीहत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैंठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा।

7. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हें विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतयां मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

क्रमशः....8

सावित्री सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 104524

9. यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टीयो मे से किसी को वास्तविक रूप से हस्तांतरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

10. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी तभी अपने ट्रस्टीयो मे से किसी का हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकरी को न प्रदान कर दें।

11. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टीयो मे से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारो सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम पच्चीस सदस्य होगे।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टीयो की राय/बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज,मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेगें।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार – मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/ स्वीकृत/ अस्वीकृत/संसोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 5 ट्रस्टीयों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति के आधार पर कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट हित में चल–अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय, दान, गिरवी, भाड़ा दे सकता है व ले सकता है।

क्रमशः....9

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104525

6 मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यलय एवं सुविधाए– ट्रस्ट का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय होगा।

7. कार्य क्षेत्र – ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु भारत के किसी राज्य व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. सचिव/उपसचिव की नियुक्ति –

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन,भत्ते सुविधाए, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्टीयो के बहुमत से उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिाथिलता ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने कि स्थिति मे उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मककार्यवाही कर सकता है। तथा उक्त पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. उपाध्यक्ष की नियुक्ति–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी,ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेगे।

कमश....10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 104526

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो , मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति मे उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदो से हटा सकता है तथा इन पदो पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–

यह कि इस डीड के अर्न्तगत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगें।

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्टार के यहॉ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता।

12. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी कार्यकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गति विधियों पर नियंत्रण रखना।

क्रमश....11

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14AA 614655

3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

4. विभिन्न कार्यकलापो उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठो/ विभागो/ केन्द्रों/ संस्थाओं/ उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजको/निदेशको पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।

5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।

6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विकय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।

13. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।

3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14. बैंक एकाउण्ट –

1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी व ट्रस्टी का संयुक्त रहेगा विशेष परिस्थिति में खाते का संचालन तीन लोग भी (ट्रस्टीयों में से) संयुक्त रूप से कर सकते है। मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा एकल खाते का संचालन किया जा सकता है।

सावित्री सिंह

कमश....12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14AA 614656

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय महाविद्यालय/ संस्थान/ केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यलय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

15. विधिक कार्यवाही – संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

16. सम्पत्ति सम्बन्धी –

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. मैनंजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कय, विकय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।

5. मैनंजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार,आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. मैनंजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजित कर सकता है।

सावित्री देवी

क्रमश....13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 614657

7. मैनंजिंग ट्रस्टी चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Gurantee), भाड़ा कय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (License), बन्धक (Mortage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजीत (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

17. विशेष

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/ कार्यकम/ इकाई/ कार्यालय/ संस्था/ उपकम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट " आकर्षण एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट" ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिकमण करते है तो वह नियम/उपनियम, अतिकमण की सीमा तक शून्य होगें।

(ख) मैनेजिग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/ किन्ही प्राविधान/प्राविधानो को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/ प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है इस सम्बन्ध में मैनेजिग ट्रस्टी का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

विनी सिंह

कमश....14

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14AA 614658

यह कि आकर्षण एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमे सन्निहित " आकर्षण एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट " ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर की उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एंवं क्रियान्वित की जाती है, कि उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

इस न्यास का सृजन एवं प्रभावी दिनांक 12.06.2012 माना जाएगा।

सावित्री सिंह

क्रमश....15

15

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14AA 614659

15

तैयारकर्ता : श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी– श्री सत्यदेव सिंह ग्रा0–सागापाली, पो0–ढोटारी, विकास खण्ड– बाराचवर, परगना– जहूराबाद, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला– गाजीपुर

टाईपकर्ता : संदीप सिंह संदीप सिंह
पता– रेलवे स्टेशन रोड, जिला– गाजीपुर

(सावित्री सिंह) सावित्री सिंह
मैनेजिंग ट्रस्टी
आकर्षण एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट,
ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर

साक्षीगण दिग्विजय कुमार उपाध्याय
नाम : दिग्विजय कुमार उपाध्याय पुत्र– श्री उमाशंकर उपाध्याय
पता– ग्रा0+पो0– कैथवलिया, गाजीपुर

अमित कुमार रघुवंशी
नाम : अमित कुमार रघुवंशी पुत्र– श्री अरविन्द सिंह
पता– ग्रा0–सागापाली, पो0– ढोटारी, गाजीपुर

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 (A) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ता की अंगुलियों के सुस्पष्ट निशान

प्रथम निष्पादनकर्ता / विक्रेता / क्रेता

दाहिने हाथ -

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

बायें हाथ का -

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

सावित्री सिंह

द्वितीय निष्पादनकर्ता / विक्रेता / क्रेता

दाहिने हाथ -

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

बायें हाथ का -

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

हस्ताक्षर :-

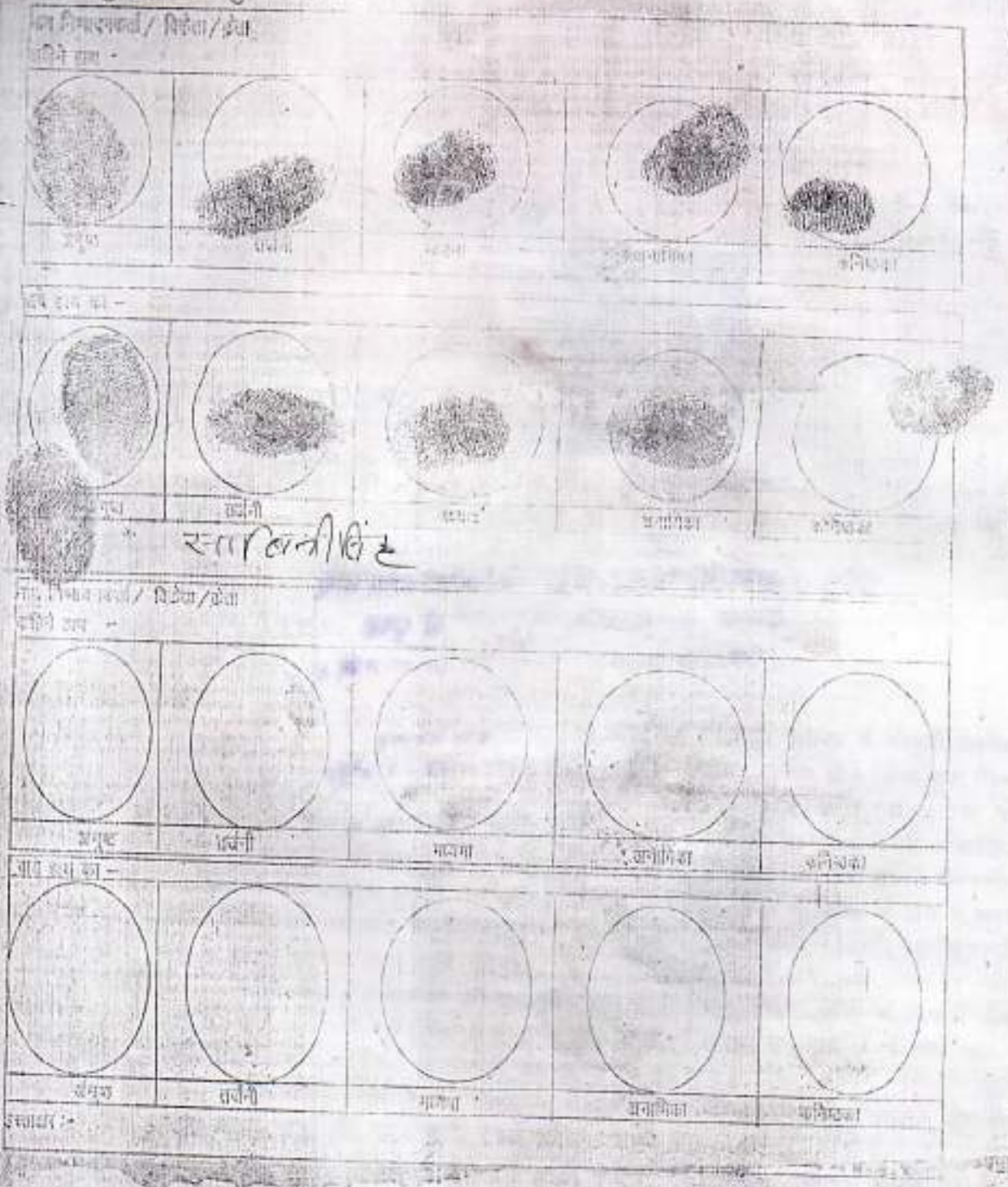

आज दिनांक 12/6/12 को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक संख्या IV खंड 12 के पृष्ठ 393/424
क्रमांक 24 [illegible] अंकित की गई।

उप निबंधक 12/6/12
[illegible]